न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 07/2023

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/7

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए. धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री घनश्याम ऑटो गैराज, पता– गोडियों तेजपुर रोड, दानपुर, बांसवाडा, (राज.) **At also–** प्रकाश कुमार पिता श्री राधाकिशन, पता–दानपुर, छोटी सरवन, बांसवाडा, (राज.) 327001 (ऋणी/बंधक कर्ता)
2. श्री प्रकाश कुमार पिता श्री राधाकिशन, पता – दानपुर, छोटी सरवन, बांसवाडा, (राज.) 327001(सहऋणी)
3. श्री विनोद कुमार पिता श्री नाथुलाल, पता – मकान नं.–04, कैलकांज बाजना, रतलाम, मध्यप्रदेश, 457555 (सहऋणी)
4. श्रीमती सीता भोई पत्नी श्री विनोद भोई पता –मकान नं.–04, कैलकांज बाजना, रतलाम, मध्यप्रदेश, 457555(सहऋणी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 24–03–2023

ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1– श्री घनश्याम ऑटो गैराज, पता– गोडियों तेजपुर रोड, दानपुर, बांसवाडा, (राज.) **At also** – प्रकाश कुमार पिता श्री राधाकिशन, पता–दानपुर, छोटी सरवन, बांसवाडा, (राज.) 327001 (ऋणी/बंधक कर्ता) 2– श्री प्रकाश कुमार पिता श्री राधाकिशन, पता – दानपुर, छोटी सरवन, बांसवाडा, (राज.) 327001(सहऋणी) 3– श्री विनोद कुमार पिता श्री नाथुलाल, पता – मकान नं.–04, कैलकांज बाजना, रतलाम, मध्यप्रदेश, 457555 (सहऋणी) 4– श्रीमती सीता भोई पत्नी श्री विनोद भोई पता –मकान नं.–04, कैलकांज बाजना, रतलाम, मध्यप्रदेश, 457555(सहऋणी) को दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:37 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

27–08–2019 को 7,50,000 (सात लाख पचास हजार रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 08–08–2022 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणो के खाते **दिनांक 12–08–2022 तक कुल बकाया राशि 631491 रू.** एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया। अचल सम्पत्ति **श्री प्रकाश पिता राधाकिशन, पता – दानपुर, छोटी सरवन, बांसवाडा स्थित आवासीय प्लॉट जिसका कुल माप 2000 वर्ग फीट है।** जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके **पूर्व में शंकर का भूखण्ड, पश्चिम में राकेश पिता रोशन की कृषि भूमि, उत्तर में बांसवाडा रतलाम मुख्य मार्ग एवं दक्षिण में कृषि भूमि है,** को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। जिसकी प्रति संलग्न है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:37 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **16–08–2022** व ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाव या कार्यवाही नही की व उस ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थीगणो को दिनांक **27–08–2019** को **7,50,000 (सात लाख पचास हजार रुपया)** ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 11–01–2023 को जारी किया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4 के नोटिस दिनांक 23–02–2023 को बाद तामील प्रस्तुत हुए किन्तु अप्रार्थीगण सं. 1, 3, 4 अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 2 का नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्बन्धित के पते पर प्रेषित करने के उपरांत डाक विभाग की ट्रेक कन्साईन्मेंट रिर्पोट अनुसार दिनांक 25.02.2023 को सम्बन्धित को प्राप्त हो चुका है। दिनांक 24.03.2023 को भी समस्त अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है। बार बार रुक रुक कर अप्रार्थीगणो को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 4 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। समस्त अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

दिनांक 24–03–2023 को प्रार्थी अधिवक्ता की प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:37 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार छोटी सरवन को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात **ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए. धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर** को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 24-03-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:37 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)